न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 58 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री अहमद अली पुत्र श्री नोसद अली
गली नं0 4, पन्नीग्राम चौक, दरगाह अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 12.04.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.1.2023 को उर्स मेला के तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के अभियान के तहत जांच दल अजमेर शहरी क्षेत्र में श्री अहमद अली पुत्र श्री सौसद अली गल नं0 04,पन्नीग्राम चौक अजमेर पर पहुँचे । उक्त फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए अप्रार्थी की फर्म से निम्न घरेलू गैस सिलेण्डरों

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N. W. GAS	TYPE
1	120981	BPCL	16.00	20	04	घरेलू

को कब्जेराज लिया गया। फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डर का चाय / नाश्ता बनाकर विक्रय करने के कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरो के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डर का दुरूप्योग करएल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल. पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर श्री रामा गुर्जर ण्च.के.होम

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

एन्टर प्राईजेज अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के नोटिस पर पुलिस रिपोर्ट है कि अप्रार्थी दुकान किराये पर लिया था जो खाली करके चला गया । पैरोकार सरकार को सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.01.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 20.01.2023 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर